

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-25/2020/10-2  
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक ०९/10/2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
छ.ग. अरण्य भवन,  
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,  
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.928 हे. वन भूमि का मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर का FCA 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-822/1673, दिनांक 14.09.2020 ।

---00---

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :-

1. आवेदित वन भूमि का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 5 से 7 में दर्ज है। उक्त विवरण में आवेदित वन भूमि 57 टुकड़ों में है तथा विवरण में एक ही कक्ष क्रमांक को अनेक बार आवेदित किया गया है। इस तरह के विवरण से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि, उक्त एक वन कक्ष में कुल आवेदित रकबा कितना है।

उक्त आवेदित वन भूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग-II) में आवेदित उक्त वन भूमि का रकबा को कक्षवार एकजाई कर निम्न तालिका अनुसार प्रदाय करें :-

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 8 में गैर वन क्षेत्र का रकबा 11.518 हे. दर्ज है किन्तु विवरण नहीं दिया गया है।


3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 27 से 29 में वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित भाग-2 के अनुक्रमांक 7 में (प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश) में DFO द्वारा कोई टीप/अनुशांसा नहीं की गई है।

4. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 35 में वन मंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में दिनांक नहीं लेख किया गया है।

60  
5. संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 21 में लेख किया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभयारण्य के बाहर से ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुमति आवश्यक नहीं है। कृपया भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. 6-175/2017 WL, दिनांक 19.02.2018 का अवलोकन करें। इसमें उक्त क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल के प्रकरणों की अनुमति का अधिकार राज्य वन्यजीव बोर्ड को सशर्त प्रदाय किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(प्रस्ताव मूलतः 2 प्रतियों में)।

  
(अभिषेक कुमार सिंह)


उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठांकमांक एफ-5-25/2020/10-2

नवा रायपुर, दिनांक 09/10/2020

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
  - 2.मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
  - 3.वनमंडलाधिकारी, मरवाही वनमंडल, मरवाही छत्तीसगढ़।
  - 4.आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
9/10

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

0/2